भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

HUNDRED RUPEES

रत IND

ION JU

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 253504

(प्रारूप– "अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप :–

हम **भूपेन्द्र पाण्डेय** (नाम अध्यक्ष) एवं **विशाल कुमार** (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान**, ग्राम– शुकुलपुर, देहली बाजार, पो0– अतौला, तहसील– बल्दीराय, सुलतानपुर (उ0प्र0) (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :–

1. यह कि हमारी सोसाइटी **बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान** द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) **एस0डी0 हर्ष कॉलेज ऑफ फार्मेसी** पता ग्राम व पो0– रैंचा (भवानीगढ़), तहसील– बल्दीराय, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar Sultanpur
1-9-23

15/100

कुमार

1-9-2023

B. Pandey

Sl. No. 2222 Time ——

Solemnly affirmed before me today at my office by affidavit has been read & explained to the deponent identified by 1-9-23

Rajendra Pratap Singh
NOTARY/ Advocate
Th Sadar Sultanpur

NOTARY

1-9-23

2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) ग्राम व पो0– रैंचा (भवानीगढ़), तहसील– बल्दीराय, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0) में गाटा सँख्या 2293, 2296क, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307घ, 2307र, 2301क, 2304क, 2262 एवं 2265क हेक्टेयर रकबा क्रमशः 0.0150, 0.0330, 0.0060, 0.2450, 0.0760, 0.0890, 0.0850, 0.0380, 0.0950, 0.1820, 0.3790 एवं 0.0160 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.2590 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सँख्या 2293, 2296क, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307घ, 2307र, 2301क, 2304क, 2262 एवं 2265क रकबा क्रमशः 0.8100 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8100 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 28.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से

सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 प्रबन्धक	B. Pandey ह0 अध्यक्ष
बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान	बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान
ग्राम– शुकुलपुर, देहली बाजार,	ग्राम– शुकुलपुर, देहली बाजार,
पो0– अतौला, बल्दीराय,	पो0– अतौला, बल्दीराय,
सुलतानपुर	सुलतानपुर

Raghvendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Th. Sadar Sultan